मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–महेन्द्र कुमार ढाबी.
आर.जे.एस.

(1)
मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–158/2023

अब्दुल करीम पुत्र श्री अब्दुल गफ्फार, (फौत) विधिक वारिसान एवं डिपोंनेंट
.
1/1 रेहाना पत्नी श्री अब्दुल करीम पुत्री स्व. श्री अब्दुल करीम, आयु–43 वर्ष.
1/2 सिराजुद्दीन पुत्र स्व. श्री अब्दुल करीम, आयु–41 वर्ष.
1/3 शबाना पत्नी श्री रमजानी पुत्री स्व.श्री अब्दुल करीम, आयु–39 वर्ष.
1/4 हसीना पत्नी श्री मोहम्मद हनीफ पुत्री स्व. श्री अब्दुल करीम,आयु–36 वर्ष
1/5 सद्दाम पुत्र स्व. श्री अब्दुल करीम, आयु–30 वर्ष
1/6 इमरान पुत्र स्व. श्री अब्दुल करीम, आयु–28 वर्ष
निवासीगण–171 के, गरीब नवाज कॉलोनी, गेगल आखरी, गेगल, जिला अजमेर(राज.)

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. रहीस पुत्र श्री दिलावर, निवासी– हसनपुर, बिलौंदा, पुलिस थाना फिरोजपुर, झिरका (हरियाणा) (**चालक** ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171)

2. नरेश कुमार एच.यू.एफ. कंपनी पता–डब्लू नं.–10, एच.नं.126, फिरोजपुर झिरका, नूंह मेवात (हरियाणा) जरिए मुख्तयार आम भूपेन्द्र सैनी पुत्र श्री हरलाल सैनी, निवासी–ट्रांसपोर्ट नगर, पैट्रोल पंप के सामने,पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर (**रजि. स्वामी** ट्रक)

3. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय सावित्री चौराहा, बी.एस.एन.एल. आफिस बिल्डिंग, अजमेर (राज.)

........अप्रार्थीगण

(2)

मोटर वाहन दुर्घटना दावा संख्या–159/2023

सद्दाम हुसैन पुत्र श्री अब्दुल करीम, आयु–28 वर्ष,निवासी–171 के, गरीब नवाज कॉलोनी, गेगल आखरी, गेगल, जिला अजमेर(राज.)

.......प्रार्थी

बनाम

1. रहीस पुत्र श्री दिलावर, निवासी– हसनपुर, बिलौंदा, पुलिस थाना फिरोजपुर, झिरका (हरियाणा) (**चालक** ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171)

2. नरेश कुमार एच.यू.एफ. कंपनी पता–डब्लू नं.–10, एच.नं.126, फिरोजपुर झिरका, नूंह मेवात (हरियाणा) जरिए मुख्तयार आम भूपेन्द्र सैनी पुत्र श्री हरलाल सैनी, निवासी–ट्रांसपोर्ट नगर, पैट्रोल पंप के सामने, पुलिस थाना एन.ई.बी., जिला अलवर (**रजि. स्वामी ट्रक**)

3. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए मण्डल प्रबंधक, मण्डल कार्यालय सावित्री चौराहा, बी.एस.एन.एल. आफिस बिल्डिंग, अजमेर (राज.)

........अप्रार्थीगण

याचिकाएं अंतर्गत धारा– 166 मोटर यान अधिनियम 1988

उपस्थितः–

अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री शोईबुद्दीन खान
अप्रार्थी क्रम–1 व 2–उपस्थित नहीं
अधिवक्ता अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी–श्री एस.एन.हावा

निर्णय **दिनांकः–04.05.2026**

1 प्रथम याचिका के प्रार्थी अब्दुल करीम ने उसके इस दुर्घटना में कारित चोटों के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र इस अधिकरण में दिनांक 10.05.2023 को पेश किया जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। लेकिन दौराने दावा अब्दुल करीम की मृत्यु होने से उसके स्थान पर उसके विधिक वारिसान श्रीमती रेहाना (मृतक की पत्नी), सिराजुद्दीन, शबाना, हसीना, सद्दाम व इमरान (मृतक की संतानों) को प्रतिस्थापित किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय याचिका के प्रार्थी सद्दाम हुसैन ने भी उसके इसी दुर्घटना में कारित चोटों के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र इस अधिकरण में दिनांक 10.05.2023 को पेश किया जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त दोनों याचिकाएं एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण समेकित की गई हैं और जिनका निस्तारण इस निर्णय द्वारा एक साथ किया जा रहा है।

याचिकाओं के तथ्य

2. संक्षेप में याचिकाओं के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.12.2022 को अब्दुल करीम अपने पुत्र सद्दाम के साथ मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–सी.एस.–3937 पर सर्विस लेन पर किशनगढ की ओर जा रहे थे जब वे सुबह 11.30 बजे प्रसीडेंट स्कूल के सामने पहुंचे तो ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 को उसके चालक ने अत्यंत तेजगति, गफलत व लापरवाही से चलाकर अचानक पीछे से आकर मोटर साइकिल को टक्कर मारी जिससे मोटर साइकिल पर अब्दुल करीम व सद्दाम के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई । उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गेगल, जिला अजमेर में देकर मुकदमा दर्ज कराया गया जिसमें बाद अन्वेषण ट्रक चालक

रहीस के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है । आहतगण की जिस ट्क से दुर्घटना कारित हुई थी उसका चालक अप्रार्थी क्रम–1 व रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम –2 है तथा उक्त वाहन बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। प्रथम याचिका का आहत अब्दुल करीम दुर्घटना के समय 64 वर्षीय स्वस्थ कदकाठी का व्यक्ति था जो पशुपालन व दुग्ध विक्रेता के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक कमाता था जिसकी इस दुर्घटना में कारित हुई चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी ने सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–33,12,000/–रूपये की राशि और द्वितीय याचिका का आहत सद्दाम दुर्घटना के समय 28 वर्षीय स्वस्थ कदकाठी का व्यक्ति था जो खुली मजदूरी से 05,000/–रूपये मासिक कमाता था जिसकी इस दुर्घटना में कारित हुई चोटों की क्षतिपूर्ति हेतु प्रार्थी ने सभी मदों में मिलाकर याचिका में वर्णितानुसार कुल–47,62,000/–रूपये की राशि 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी क्रम–1 वाहन चालक का जवाबः–

3. अप्रार्थी क्रम–1 की ओर से याचिकाओं का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि राशि बढाचढा कर मांगी गई है। यह भी कहा गया है कि याचिकाओं के तथ्य, कथित तिथि, समय व स्थान पर दुर्घटना होना अस्वीकार है। उसका कहना है कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–03 के पास बीमित होने से संपूर्ण क्षतिपूर्ति का दायित्व अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी पर है और अंत में उसने याचिका खारिज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी क्रम–2 वाहन स्वामी की स्थिति–

4. अप्रार्थी क्रम–02 मालिक के बावजूद इत्तला उपस्थित नहीं आने पर उसकी गैर हाजरी दर्ज की गई है।

अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी का जवाब

5. अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी की ओर से याचिकाओं का जवाब पेश कर अभिकथन किया गया है कि राशि बढाचढा कर मांगी गई है। यह भी कहा गया है कि याचिकाओं के तथ्य, कथित तिथि, समय व स्थान पर दुर्घटना होना अस्वीकार है। उनका कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना दिनांक 26.12.2023 को घटित होना बताया गया है और प्रार्थीगण ने क्लेम लेने के आशय से बाद में सोच समझ कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.01.2023 को 07 दिन की देरी से पंजीबद्ध कराई है जिस देरी का कोई कारण रेकार्ड पर नहीं है। प्रार्थीगण के चोट प्रतिवेदनों में भी गम्भीर चोट का अंकन नहीं है एवं चार्जशीट में भी धारा–338 भा.द.सं. का अंकन नहीं है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अन्य कारणों से आहत हुए है एवं स्वयं की लापरवाही से

दुर्घटनाग्रस्त हुए है और अप्रार्थी के यहां बीमित वाहन से किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है। उनका कथन है कि परिवादी ने अपने बयान 161 सी.आर.पी.सी. में उनकी मोटर साइकिल ट्रक से जाकर पीछे से टकराने का कथन किया है जिससे भी स्पष्ट है कि बीमित वाहन की लापरवाही नहीं थी ।उन्होनें अप्रार्थी चालक के पास वक्त दुर्घटना वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व फिटनेस नहीं होने का कथन करते हुए उनके विरूद्ध याचिकायें खारिज करने का निवेदन किया है।

विवाद्यक

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विरचित विवाद्यकों को निम्न प्रकार समेकित किया गयाः

1. क्या दिनांक 26.12.2022 को सुबह 11.30 बजे पुलिस थाना गेगल, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में प्रसीडेंट स्कूल के सामने, गेगल आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–2 के ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रार्थी अब्दुल करीम व सद्दाम को मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–सी.एस.3937 पर जाते हुए को टक्कर मारी जिससे उनके साधारण् व गम्भीर चोटें कारित हुई ? ...प्रार्थीगण

2. क्या अप्रार्थी क्रम–1 बरवक्त दुर्घटना वाहन को अप्रार्थी क्रम–2 वाहन मालिक के नियोजन व हितार्थ चला रहा था ? ...प्रार्थीगण

3. क्या दुर्घटना हेतु मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–सी.एस.3937 का चालक प्रार्थी स्वयं भी समान रूप से जिम्मेदार है और इस प्रकार यह प्रकरण योगदायी उपेक्षा (contributory negligence) का है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

4. क्या अप्रार्थी क्रम –3 बीमा कंपनी की जवाब याचिका की प्रारंभिक आपत्ति व अतिरिक्त कथन में वर्णित कारणों एवं बरवक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–1 के पास वाहन को चलाने का वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस, परमिट व फिटनेस नहीं होने से बीमा शर्तो का उल्लंघन होने से वे क्षतिपूर्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं है ? ....अप्रार्थी बीमा कंपनी

5. अनुतोष

7. साक्ष्य प्रार्थीगण में ए.ड.–1 सद्दाम हुसैन परीक्षित हुआ है। इस स्टेज पर अप्रार्थी क्रम–1 के उपस्थित नहीं आने पर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

8. उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। इस संबंध विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष का तर्क रहा है कि दिनांक 26.12.2022 को अब्दुल करीम अपने पुत्र सद्दाम के साथ मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–सी.एस.–3937 पर सर्विस लेन पर किशनगढ की ओर जा रहे थे जब वे सुबह 11.30 बजे प्रसीडेंट स्कूल के सामने पहुंचे तो ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 को उसके चालक ने अत्यंत तेजगति,गफलत व लापरवाही से चलाकर अचानक पीछे से आकर मोटर साइकिल को टक्कर मारी जिससे मोटर साइकिल पर अब्दुल करीम व सद्दाम के शरीर पर साधारण व गम्भीर चोटें कारित हुई एवं अब्दुल करीम के सिर में फ्रेक्चर होने से थक्का जमने के कारण कोमा में चला गया एवं अंततः इलाज के दौरान उसकी जे.एल.एन.अस्पताल,अजमेर में मृत्यु हो गई जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अभिलेख पर है जिसमें उसकी दिनांक 17.02.2025 को मृत्यु होना अंकित है। अतः मृतक की मृत्यु दुर्घटना का परिणाम रही है जो प्राथमिक रूप से उनके द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया है।। उनका यह भी तर्क है कि जहां तक अप्रार्थी बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि दुर्घटना की रिपोर्ट 07 दिन विलम्ब से दर्ज कराई गई है। परन्तु इस दुर्घटना में दोनों प्रार्थीगण आहत हुए थे और अब्दुल करीम के गम्भीर चोटें आने से उसका पुत्र सद्दाम उसके पिता के इलाज में व्यस्त रहा था जिसकी पुष्टि चिकित्सीय दस्तावेजों से भी होती है। इसलिए समय पर रिपोर्ट पेश नहीं कर सका। उनका यह भी तर्क है कि दुर्घटना कारित ट्रक को मौके से जप्त कर लिया गया था जहां पुलिस भी आ गई थी जिससे प्राथमिक रूप से तहरीरी रिपोर्ट दर्ज कराने में किसी प्रकार की देरी नहीं रही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी की ओर से यह तर्क लिया गया है कि प्रार्थीगण के किसी प्रकार की गम्भीर चोट कारित नहीं हुई थी इसीलिए आरोप पत्र में धारा–338 भा.द.सं. में पेश नहीं किया गया है। परन्तु प्रार्थी ने जो चिकित्सीय दस्तावेज पेश किए है उनसे अब्दुल करीम के सिर पर व दाई क्लेवीकल बोन पर फ्रेक्चर होना प्रमाणित है। यदि पुलिस द्वारा उक्त धारा में चालान पेश किया गया है तो यह पुलिस के पार्ट पर त्रुटि है। उनका तर्क है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत पुलिस ने अनुसंधान करते हुए वाहन स्वामी अप्रार्थी क्रम–01 को धारा–133 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श'–04 दिया है जिसमें उसने वक्त घटना उसके वाहन पर चालक अप्रार्थी क्रम–01 रहीस का होना बताया है जिस पर इस अप्रार्थी रहीस को भी धारा–134 एम.वी.एक्ट का नोटिस दिया गया है जिसमें उसने उक्त दुर्धटना कारित ट्रक वक्त घटना स्वयं द्वारा चलाना स्वीकार किया है एवं पुलिस ने बाद अनुसंधान अप्रार्थी चालक की दुर्घटना में गलती व लापरवाही पाते हुए उसे आरोपी मानते

हुए उसके विरूद्व आरोप पत्र सक्षम विचारण फौजदारी न्यायालय में पेश किया है। उनका तर्क है कि मृतक अब्दुल करीम दुर्घटना के समय पशुपालन व खेतीबाडी से 15,000/–रूपये मासिक कमाता था जिसकी आय पर प्रार्थीगण आश्रित थे जो उसकी मृत्यु से क्लेम राशि पाने के अधिकारी है। इस दुर्घटना में सद्दाम हुसैन भी आहत हुआ था जो खुली मजदूरी से 20,000/–रूपये मासिक कमाता था। अंत में उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए याचिकाएं स्वीकार करने का निवेदन किया है।

1. 2020 (1) ए.सी.सी.130 (एस.सी.) नेशनल इं.कं.लिमि. बनाम बिरेन्द्र व अन्य
2. (2022) (2) ए.सी.जे. 1406 (कलकत्ता) बजाज एलियांज जन.इ.कं.बनाम बिपासा रॉय

9. इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई है जो अभिलेख का भाग है। उन्होंने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया परन्तु उनके प्रस्तुत नहीं किए गए हैः–

1 रवि बनाम बद्रीनारायण ए.आई.आर. 2011 (एस.सी.)1226
2. मदनलाल बनाम बाबूलाल 2007 आर.ए.आर. (राज.)308
3. शब्बीर खान बनाम गौरव शर्मा2014 (1)डी.एन.जे. (राज.) 412
4. सावित्री देवी बनाम रमेशचन्द्र 2006 (9) आर.आर.डी. 4661

10. उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससमान अवालोकन करते हुए मेरे विनम्र मत में उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है। इस संबंध में प्रत्येक विवाद्यक पर मेरा न्यायिक विनिश्चय निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या–1

11. इस विवाद्यक का सिद्धभार प्रार्थीगण पर है। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क लिया गया है कि तहरीरी रिपोर्ट 07 दिन की देरी से मिलीभगत करते हुए प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय रहेगा कि प्रकरण में दुर्घटना दिनांक 26.12.2023 को दोपहर 11.30 से 12.00 बजे के मध्य की बताई गई है और तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–10 दिनांक 02.01.2023 को आहत सद्दाम स्वयं द्वारा 07 दिन बाद पुलिस थाना गेगल पर प्रस्तुत की गई है और इस तहरीरी रिपोर्ट में रिपोर्टकर्ता द्वारा यह अंकित किया गया है कि दुर्घटना में उसके पिता के सिर व शरीर पर गम्भीर चोटें आने एवं उसके पिता को आई.सी.यू. में भर्ती कराया गया था तथा उसके भी चोटें आई थी। उसके पिता बेसुध हो गए थे राहगीरों ने आकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था। वह पिताजी के इलाज में व्यस्त था इस कारण उस समय थाने नहीं आ सका था। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेख पर जो मौजूद है वह आर्या न्यूरो सपाईन अस्पताल,अजमेर की डिस्चार्ज समरी प्रदर्श–17 है जिसमें आहत का दुर्घटना दिनांक

26.12.2022 को भर्ती होना व आर.ए.टी. का अंकन है एवं उसके दांई क्लेवीकल बोन व बांई पेराइटल बोन के फ्रेक्चर होना और दिनांक 03.01.2023 को डिस्चार्ज होना भी अंकित है । इस प्रकार प्रार्थी के भर्ती रहने के दौरान ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह स्वभाविक है कि आहत के परिजन का प्राथमिक दायित्व रहता है कि वे पहले आहत की उचित देखभाल करे ताकि उसके जीवन को किसी भी प्रकार से बचाया सकें वरन् यह नहीं कि पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। इस प्रकरण् में प्रार्थी की हालत में सुधार होने पर तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अतः रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी के आधार पर प्रकरण पर किसी प्रकार का संदेह किया जावे यह तथ्य माने जाने योग्य नहीं रह जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी के संबंध में जो न्यायिक दृष्टांतों का हवाला विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा दिया गया है उनके तथ्य व परिस्थितयां मेरे विनम्र मत में हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस संबंध में अभिलेख पर ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 की फर्द जप्ती प्रदर्श–14 का अवलोकन करते है तो उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि वक्त घटना दिनांक 26.12.2022 को ही थाना परिसर में उक्त दुर्घटना कारित ट्रक को सुरक्षार्थ खडा करवा लिया गया था जहां से उसे जप्त किया गया है। अतः कथित दुर्घटना ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 से होना प्रमाणित है। इसके साथ ही जहां तक मिलीभगत का प्रश्न है, निश्चित रूप से यदि अप्रार्थी बीमा कंपनी यह पाती थी कि प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार से मिलीभगत की गई है तो अप्रार्थी बीमा कंपनी द्वारा अपने स्तर पर इस संबंध में कोई जांच अधिकारी नियुक्त कर इसकी जांच करवाई जा सकती थी। परन्तु ऐसी कोई जांच रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है ना ही अप्रार्थी बीमा कंपनी ने अपनी ओर से कोई साक्ष्य अपनी जवाब याचिका के संबंध में प्रस्तुत की है जिससे कि मिलीभगत की पुष्टि हो पाती।

12. जहां तक विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह तर्क कि प्रार्थीगण के किसी भी प्रकार की गम्भीर चोटें कारित नहीं हुई थी इसलिए चार्जशीट में धारा–338 भा.द.सं. का उल्लेख नहीं है। परन्तु जैसा कि उपर विवेचित किया जा चुका है कि दांई क्लेवीकल बोन व बांई पेराइटल बोन के फ्रेक्चर होना प्रदर्श–17 डिस्चार्ज समरी से स्पष्ट है। यदि पुलिस ने इस संबंध में चार्जशीट में धारा–338 भा.द.सं. का उलेख नहीं किया है तो यह पुलिस के पार्ट पर त्रुटि रही है जिससे प्रार्थी के प्रकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

13. प्रकरण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–10 दर्ज होने के उपरांत अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान जो दुर्घटना कारित ट्रक है उसके स्वामी अप्रार्थी क्रम–02 को नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट का प्रदर्श–04 दिया गया है जिसमें उसने घटना दिनांक 26.12.2022 को कथित

दुर्घटना कारित ट्रक पर चालक रहीस अप्रार्थी क्रम–01 का होना बताया है जिस पर इस रहीस अप्रार्थी क्रम–1 चालक को भी धारा–134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श–05 दिया गया है जिसने उसने घटना दिनांक को कथित मोटर साइकिल को स्वयं द्वारा चलाना बताया है।

14. इस प्रकार उपरोक्त अनुसंधान के उपरांत अनुसंधान अधिकारी ने अप्रार्थी क्रम–01 को इस दुर्घटना का आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श–02 विचारण फौजदारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें भी कहीं पर भी प्रार्थी की दुर्घटना में योगदायी उपेक्षा रही हो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। वरन इस दुर्घटना में अप्रार्थी क्रम–01 को आरोपी मानते हुए उसके विरूद्ध धारा–279, 337 भा.द.सं. में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आरोप पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया हो ऐसी कोई साक्ष्य अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन अप्रार्थी पक्ष द्वारा नहीं किया गया है।

15. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी बीमा कंपनी का यह कथन रहा है कि परिवादी ने अपने बयान 161 सी.आर.पी.सी. में उनकी मोटर साइकिल ट्रक से जाकर पीछे से टकराने का कथन किया है जिससे भी स्पष्ट है कि बीमित वाहन की लापरवाही नहीं थी। इस संबंध में सर्वप्रथम तो यह कि उक्त बयान साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और अधिकरण को अपना निर्णय अधिकरण के समक्ष लेखबद्ध स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर करना होता है जो कि प्रार्थीगण ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है जबकि अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः अप्रार्थी पक्ष का उक्त तर्क भी माने जाने योग्य नहीं है।

16. इस प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या इस दुर्घटना में आई चोटों से अब्दुल करीम की मृत्यु हुई थी। इस संबंध में पूर्व में अधिकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश–06 नियम 17 सपठित धारा–151 सी.पी.सी. का दिनांक 21.01.2026 को प्रस्तुत किया गया था जिसमें अब्दुल करीम की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों से दिनांक 17.02.2025 को दौराने उपचार होना बताया गया था जिस पर उभयपक्षकारान द्वारा बहस करने के पश्चचात अधिकरण द्वारा दिनांक 04.04.2026 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया कि ***निश्चित रूप से दुर्घटना दिवस से मृत्यु दिनांक की मध्य अवधि में 02 साल 02 माह की होती है। इस मध्य अवधि में निरंतर आहत इलाजरत रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज , पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है न ही कोई चिकित्सीय राय अभिलेख पर है कि मृतक की मृत्यु का कारण दुर्घटना में आई चोटों का प्रत्यक्ष परिणाम रही हो।*** 'इस प्रकार अधिकरण ने पूर्व में ही इस तथ्य को विनिश्चित कर दिया था कि मृतक की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों के परिणाम

स्वरूप नहीं हुई थी। इसलिए अब यह इसके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। **ऐसे में प्रार्थीगण अबदुल करीम की Estate को हुई क्षति के संबंध में ही क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।**

17. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह तथ्य पूर्ण रूप से सुस्पष्ट है कि दिनांक 26.12.2022 को सुबह 11.30 बजे पुलिस थाना गेगल, जिला अजमेर के क्षेत्राधिकार में प्रसीडेंट स्कूल के सामने, गेगल आम सडक पर अप्रार्थी क्रम–1 ने अप्रार्थी क्रम–2 के ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर प्रार्थी अब्दुल करीम व सद्दाम को मोटर साइकिल संख्या–आर.जे.01–सी.एस.3937 पर जाते हुए को टक्कर मारी जिससे उनके साधारण् व गम्भीर चोटें कारित हुई । अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय प्रार्थीगण के पक्ष में किया जाता है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 2

18. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। इस संबंध में पत्रावली पर ट्रक संख्या–आर.जे.14–जी.जे.–6171 के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श–06 व बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श–07 के अनुसार उक्त वाहन का अप्रार्थी क्रम–2 रजिस्टर्ड स्वामी व बीमाधारी है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी नोटिस धारा–133 एम.वी.एक्ट व धारा–134 एम.वी.एक्ट के नोटिसों क्रमशः प्रदर्श–04 व 05 के जवाबों में अप्रार्थी क्रम–1 का वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक होना प्रमाणित है। उक्त वाहन बीमा पॉलिसी प्रदर्श–07 के अनुसार दिनांक 25.10.2022 से 24.10.2023 तक की अवधि के लिए अर्थात दुर्घटना की तिथि 26.12.2022 को वाहन अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी के पास बीमित होना प्रमाणित स्थिति है जिसे बीमा कंपनी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है।

क्षतिपूर्ति का दायित्व

19 क्षतिपूर्ति के संबंध में अधिकरण अपकृत्य विधि के सिद्धांत Vicarious liability का उल्लेख करना उचित समझता है। विधि के सिद्धांत के अनुसार सेवक के कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी माना जाता है। यह निर्विवादित तथ्य है कि चूंकि अप्रार्थी क्रम-01 अपने चालक के कर्तव्य के रूप में अर्थात अप्रार्थी संख्या-02 के नियोजन के रूप में ट्रक को चला रहा था। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति की उसकी liability को नियोजक (वाहन स्वामी) की liability में merge किया जाता है। ऐसे में चालक की जिम्मेदारी का विस्तार Vicarious liability तहत उसके स्वामी तक होता है। अतः उपरोक्त विवाद्यक इस प्रकार विनिश्चित किया जाता है कि अप्रार्थी क्रम-1 दिनांक

26.12.2022 को कथित ट्रक को अप्रार्थी क्रम-2 मालिक के नियोजन में और उसके हितार्थ चला रहा था और इसलिए अप्रार्थी संख्या-2 वाहन स्वामी अपकृत्यपूर्ण लापरवाही और उससे हुई मृतकगण की क्षति के लिए क्षतिपूर्ति (Damages) हेतु जिम्मेदार है। साथ ही अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी भी बीमा करार के दायित्व के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है।अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 3

20. इस विवाद्यक का सिद्धिभार भार अप्रार्थी क्रम-03 बीमा कंपनी पर है। जहां तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है, मोटर साइकिल चालक की किस प्रकार से उपेक्षा रही यह अप्रार्थीगण साबित नहीं कर पाए है वरन् इस संबंध में विवाद्यक संख्या-01 में विस्तृत विवेचन किए जाने से यहां पर अब इसके अलग से विवेचन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय उक्त प्रकार से किया जाता है।

विवाद्यक संख्या– 4

21. इस विवाद्यक को साबित करने का भार अप्रार्थी क्रम-3 बीमा कंपनी पर है। इस प्रकरण में प्रश्नगत अप्रार्थी चालक रहीस का ड्राइविंग लाईसेंस पत्रावली पर पेश हुआ है जो दिनांक 27.12.2019 से 26.12.2024 तक की अवधि के लिए ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए वैध व प्रभावी है एवं दुर्घटना दिनांक 26.12.2022 को घटित हुई थी और इस तिथि को वह वाहन चलाने हेतु वैध रूप से सक्षम था तथा योग्य था और इसके विपरीत कोई तथ्य नहीं है। विपक्षी संख्या-3 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि उक्त ड्राईविंग लाईसेंस वक्त दुर्घटना वैध व प्रभावी नहीं हो। अतः वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम-1 के पास वैध व प्रभावी ड्राइविंग लाईसेंस साबित है। अन्य आपत्तियों बाबत विवाद्यक संख्या-1 में विस्तृत विवेचन किये जाने से यहां पर अब उनके अलग से विवेचना की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः इस विवाद्यक का विनिश्चय अप्रार्थी बीमा कंपनी के खिलाफ किया जाता है।

अनुतोष

(1)
(प्र .सं.–158/2023)
अब्दुल करीम बनाम रहीस व अन्य

22. अब यह निर्धारित किया जाना है कि प्रार्थीगण कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने के अधिकारी है।

23. इस दुर्घटना में चूंकि अब्दुल करीम इस दुर्घटना में आहत हुआ था जिसकी दिनांक 17.02.2025 को दौराने दावा निस्तारणमृत्यु हो गई थी एवं इस संबंध में अधिकरण द्वारा पूर्व में विस्तृत आदेश दिनांक 4.4.2026 में यह विवेचित किया जा चुका है कि अब्दुल करीम की मृत्यु का कारण पूर्व में दुर्घटना में आई चोटें नहीं रही है। अर्थात अधिकरण ने यह पाया है कि दुर्घटना में आई चोटों से मृतक की मृत्यु का सीधा संबंध स्थापित नहीं हो सका है। ऐसे में प्रार्थीगण अब्दुल करीम की Estate को हुई क्षति के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है। अर्थात प्रथम तो अधिकरण को यह तय करना है कि यदि अब्दुल करीम जीवित होता तो उसके द्वारा दायर इस क्लेम में कितनी राशि उसे प्राप्त हो सकती थी और फिर उस क्षतिपूर्ति राशि को उसके वारिसान में वितरित किया जाना है।

24. इस संबंध में ए.ड.–1 प्रार्थी सद्दाम हुसैन ने अपने बयान में शपथ पर कथन किया है कि इस दुर्घटना में उसके व उसके पिता के शरीर पर गम्भीर चोटें आने से उन्हें दुर्घटना स्थल से राहगीरों ने उठाकर जे.एल.एन.अस्पताल, अजमेर पहुंचाया जहां उसके पिता की गम्भीर हालत को देखते हुए उसके पिता को आर्या न्यूरो हॉस्पीटल वैशालीनगर ले जाकर भर्ती कराया जहां वह दिनांक 26.123.2022 से 03.01.2023 तक भर्ती रहे थे। उसके पिता के सिर में आई गम्भीर चोट से फ्रेक्चर होने से खून का थक्का जम जाने के कारण कोमा में चले गए थे तत्पश्चात भी उसके पिता का विभिन्न समय पर विभिन्न अस्पतालों में इलाज चला था। उसके पिता की हालत ज्यादा गिरने पर दिनांक 04.02.2025 को जे.एल.एन.अस्पताल,अजमेर लाकर भर्ती कराया जहां पर दुर्घटना में आई चोट से तान आने से शरीर के आंशिक भाग पर लकवा मार गया था एवं ब्रेन हैमरेज हो गया था जिससे दौराने उपचार उसके पिता की दिनांक 17.02.2025 को मृत्यु हो गई। उसके पिता का करीब 02 साल 01 माह 21 दिन तक लगातार चले इलाज पर 3,00,000/–रूपये व्यय हुए थे। आगे कथन किया है कि उसके पिता पशुपालन व दुग्ध विक्रेता के कार्य से 15,000/–रूपये मासिक आय अर्जित करते थे।

25. इस विवाद्यक के निर्णय हेतु अधिकरण ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है। अधिकरण का विवेचन निम्न प्रकार हैः–

<u>धन से नुकसानी (For Pecuniary Damages)</u>

26. प्रार्थी ने इलाज की पर्चियां, मेडिकल बिल, रसीदें प्रदर्श–28 लगायत 78 तक प्रस्तुत किए है जिनका अधिकरण ने सावधानी से अवलोकन किया है। उक्त मेडिकल बिलों व पर्चियों में प्रदर्श–

67,68,72 रसीदे फाईनल बिल प्रदर्श–30 में समाहित होने से एवं प्रदर्श–60 रिफण्ड रसीद होने से प्रार्थी इन रसीदों की राशियां पाने का अधिकारी नहीं है। शेष का योग लगाने पर यह राशि कुल–1,29,988/–आती है जिसकी निकटतम राशि 1,29,990/–रूपये प्रार्थी के इलाज के वास्तविक खर्च पेटे दिलाया जाना न्यायोचित है।

27. आहत अब्दुल करीम के डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श–17 के अनुसार वह दिनांक 26.12.2022 से 03.01.2023 तक आर्या न्यूरो स्पाइन अस्पताल, अजमेर में भर्ती रहा था। इस दुर्घटना में प्रार्थी अब्दुल करीम के बांई पेराइटल बोन, दांई क्लेवीकल बोन इत्यादि में फ्रेक्चर हुए है। अतः प्रार्थीगण को आहत के भर्ती रहने के दौरान परिचर्या व्यय व अन्य आनुषांगिक व्यय के लिए प्रतिदिन के 600/–रूपये के आधार पर 09 दिन का प्रतिकर 5,400/–रूपये दिलाया जाना उचित है।

28. इस दुर्घटना में आहत के शरीर पर उपरोक्त आई गम्भीर चोटों को देखते हुए उसके द्वारा द्वारा विशेष खाना खुराक लिया जाना भी लिया जाना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थीगण को 25,000/–रूपये की राशि एकमुश्त दिलाई जाना न्यायोचित है।

29. प्रार्थीगण ने आहत के इलाज के दौरान परिवहन पेटे एम्बुलेंस, टैक्सी के बिल, रसीदें इत्यादि पेश नहीं किए है। लेकिन विभिन्न अस्पतालों में हुए इलाज तथा उसके शरीर पर आई गम्भीर चोट को देखते हुए आहत के परिवहन पर राशि खर्च होना स्वाभाविक है। अतः इस मद में प्रार्थीगण को 25,000/– रूपये की राशि दिलाया जाना उचित है।

<u>धन से भिन्न नुकसानी (For Non Pecuniary Damages)</u>

30. जहां तक कष्ट व वेदना हेतु प्रतिकर राशि का संबंध है, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–09 के अनुसार आहत अब्दुल करीम के शरीर पर कुल 04 चोटें कारित हुई थी जिनमें उसके बांई पेराइटल बोन, दांई क्लेवीकल बोन इत्यादि में गम्भीर चोट कारित हुई है जिससे उसे पीडा अवश्य हुई होगी। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियेां को देखते हुए उसे होने वाली दर्द–पीड़ा एवं मानसिक संताप, जीवन की प्रत्याशा में हुई कमी को मददेनजर रखते हुए प्रार्थीगण को कुल–1,00,000/–रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

31. परिणामतः प्रार्थी को निम्न मदों में प्रतिकर राशि दिलाई जाती हैः–

मद	राशि
इलाज में लगा वास्तविक व्यय	1,29,990/–
अस्पताल में परिचर्या का खर्चा	5,400/–
गम्भीर चोटों के संदर्भ में विशेष खाना खुराक	25,000/
परिवहन इत्यादि पर व्यय	25,000/–
इलाज के दौरान आय से होने वाली क्षति	–
भावी आय की क्षति	–
दर्द पीडा एवं मानसिक संताप	1,00,000/–
कुल योग	**2,85,390/–रूपये**

32. अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थीगण आहत को हुई क्षति के संबंध में कुल–2,85,390/–रूपये की राशि पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

(2)
(प्र .सं.–159/2023)
सद्दाम हुसैन बनाम रहीस व अन्य

33. अब यह निर्धारित किया जाना है कि प्रार्थी सद्दाम हुसैन कितनी क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है। इस संबंध में ए.ड.–1 सद्दाम ने अपने बयान में शपथ पर कथन किया है कि इस दुर्घटना में उसके गम्भीर चोटें आने से उसे घटना स्थल से राहगीरों ने उठाकर जे.एल.एन.अस्पताल,अजमेर पहुंचाया था उसके दांए हाथ, दांए हाथ की भुजा, दांए हाथ की हथेली पर गम्भीर चोटें आने से हाथ का मांस फट गया था जिससे उसे स्थाई अपंगता कारित हुई थी। उसके एक वर्ष तक चले इलाज पर 50,000/–रूपये खर्च हुए थे। दुर्घटना पूर्व वह खुली मजदूरी करके 20,000/–रूपये मासिक कमाता था लेकिन स्थाई अपंगता आने से उसकी आय समाप्त हो गई है जिससे वह खुली मजदूरी व अन्य कार्य नहीं कर पाता है।

34. इस विवाद्यक के निर्णय हेतु अधिकरण ने प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार किया है। अधिकरण का विवेचन निम्न प्रकार हैः–

धन से नुकसानी (For Pecuniary Damages)

35. प्रार्थी ने इलाज पर 50,000/–रूपये व्यय होना बताया है परन्तु उसने इस संबंध में कोई चिकित्सीय दस्तावेज, बिल आदि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किए है। प्रार्थी का सी.ए..सी. गगवाना में मेडिकल मुआयना हुआ है जो कि सरकारी अस्पताल है एवं **दवाईयों के बिल के अभाव** में यह प्रमाणित होता है कि उसका इलाज सरकारी अस्पताल में निःशुल्क हुआ है इसीलिए उसके द्वारा इलाज खर्च के बिल आदि पेश नहीं किए गए है। इस दशा में इलाज के खर्च पेटे प्रार्थी किसी भी प्रकार की राशि पाने का अधिकारी नहीं है।

36. प्रार्थी ने अस्पताल में भर्ती रहने बाबत **कोई डिस्चार्ज/बेड हैड टिकिट पेश नहीं किया है।** चूंकि प्रार्थी के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–79 के अनुसार उसके दोनों चोटें दांए हाथ की साधारण प्रकृति की पाई गई है और वह अस्पताल में भर्ती भी नहीं रहा है अतः प्रार्थी उसकी परिचर्या के लिए दूसरों पर आश्रित रहने ,विशिष्ट खाना खुराक लिये जाने, अन्य आनुषांगिक व्यय के लिए किसी प्रकार की राशि पाने का अधिकारी नहीं है।

37. प्रार्थी ने इलाज के दौरान परिवहन पेटे कोई एम्बुलेंस अथवा **टैक्सी के बिल पेश नहीं** किए है। प्रार्थी के सभी चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई है। उसका भर्ती रहना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसे में वह परिवहन पेटे प्रार्थी किसी भी प्रकार की राशि दिलाई जाना उचित प्रतीत नहीं होती है।

प्रार्थी की आय का बिन्दु

38. जहां तक प्रार्थी को इलाज की अवधि के दौरान हुई आय की क्षति का प्रश्न है, प्रार्थी के सभी दोनों चोटें साधारण प्रकृति की पाई जाना साबित है। उसके किसी प्रकार की गम्भीर चोट कारित नहीं हुई न ही वह अस्पताल में भर्ती रहा है उसने आय व कार्य बाबत भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ऐसे में उसे आय की क्षति व भावी आय होना साबित नहीं हुआ हैं।

धन से भिन्न नुकसानी (For Non Pecuniary Damages)

39. जहां तक कष्ट व वेदना हेतु प्रतिकर राशि का संबंध है, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–79 के अनुसार प्रार्थी के दो चोटें कारित हुई थी जो साधारण प्रकृति की पाई गई है जिससे उसे पीडा अवश्य हुई होगी। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए कारित गम्भीर चोटों के कारण हुई उसे होने वाली दर्द–पीड़ा एवं मानसिक संताप को मददेनजर रखते हुए पीडित को कुल–10,000/–रूपये दिलाये जाने न्यायोचित है।

40. परिणामतः प्रार्थी को निम्न मदों में प्रतिकर राशि दिलाई जाती हैः–

मद	राशि
इलाज में लगा वास्तविक व्यय	–
अस्पताल में परिचर्या का खर्चा	–
गम्भीर चोटों के संदर्भ में विशेष खाना खुराक	–
परिवहन इत्यादि पर व्यय	–
इलाज के दौरान आय से होने वाली क्षति	–
भावी आय की क्षति	–
दर्द पीडा एवं मानसिक संताप	10,000/–
कुल योग	**10,000/–रूपये**

41 अतः संपूर्ण विवेचन से प्रार्थी सद्दाम हुसैन के चोटग्रस्त होने से उसे उपरोक्तानुसार कुल 10,000/–रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाया जाना न्यायोचित है। उक्त राशि पर प्रार्थी को अवार्ड राशि पर क्लेम याचिका दायर करने की तिथि से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाया जाना उचित प्रतीत है।

42. जहां तक अप्रार्थीगण के नुकसानी के दायित्व का बिन्दु है, अधिकरण ने इस निर्णय के विवाद्यक संख्या–1 में अप्रार्थी क्रम–1 ट्रक चालक की गलती व लापरवाही से दुर्घटना घटित होना व विवाद्यक संख्या–2 में कथित वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी अप्रार्थी क्रम–2 का होना साबित मानते हुए अप्रार्थी क्रम–1 को क्षतिपूर्ति के दायित्व को उसके नियोजक अप्रार्थी क्रम–2 में Merge किया है एवं यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कथित वाहन वक्त दुर्घटना अप्रार्थी क्रम–3 बीमा कंपनी के पास बीमित था। **ऐसे में संपूर्ण प्रतिकर राशि की अदायगी के प्रति अप्रार्थी क्रम–2 व 3 संयुक्त अथवा पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी है।**

आदेश

43. परिणामतः उपरोक्त याचिकाओं के प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दुर्घटना दावा याचिकायें विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार कर निम्न प्रकार निर्णीत की जाती हैः–

(1)

याचिका संख्या–158/2023
अब्दुल करीम बनाम रहीस व अन्य

(अ) प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण 2 व 3 से संयुक्त रूप से और पृथक– पृथक रूप से कुल– 2,85,390/–रूपये (अक्षरे रूपया दो लाख पिचयासी हजार तीन सौ नब्बे मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में पाने के अधिकारी है। वे उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की

तिथि 10.05.2023 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	बचत खाते में राशि	एफ.डी.आर.	एफ.डी.आर. की अवधि
01.	रेहाना	47,565/– ***	–	–
02.	सिराजुद्दीन	47,565/– ***	–	–
03.	शबाना	47,565/– ***	–	–
04.	हसीना	47,565/– ***	–	–
05.	सद्रदाम	47,565/– ***	–	–
06.	इमरान	47,565/– ***	–	–

(2)

याचिका संख्या–159/2023

सद्दाम हुसैन बनाम रहीस व अन्य

(अ) प्रार्थी, अप्रार्थीगण 2 व 3 से संयुक्त रूप से और पृथक– पृथक रूप से कुल–10,000/– रूपये (अक्षरे रूपया दस हजार मात्र) की राशि प्रतिकर के रूप में पाने का अधिकारी है। वह उक्त राशि पर प्रार्थना पत्र पेश करने की तिथि 10.05.2023 से वसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने के अधिकारी है।

(ब) उक्त राशि मय ब्याज जमा होने पर प्रार्थीगण को राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जाना हैः–

क्र.सं.	नाम प्रार्थी	बचत खाते में राशि	एफ.डी.आर.	एफ.डी.आर. की अवधि
01.	सद्दाम हुसैन	10,000/–रूपये मय ब्याज संपूर्ण प्रतिकर राशि पर देय सहित	–	–

(3) ***प्रथम याचिका के प्रार्थीगण को उपरोक्त समस्त प्रतिकर राशि पर देय ब्याज की राशि भी सभी प्रार्थीगण के बचत खातों में समान रूप से बराबर–बराबर जमा की जाए।

(4) अप्रार्थी क्रम–03 बीमा कंपनी, प्रार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि एवं ब्याज की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP (C) 534/2020 बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 16.03.2021 को पारित आदेश में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस अधिकरण के इण्डियन बैंक, कचहरी रोड, अजमेर में संचालित खाता संख्या– 50442814028 जिसका IFSC CODE–IDIB000A547 है में NEFT या RTGS के माध्यम से जमा करायें एवं इस अधिकरण को 15 दिवस की अवधि में इसकी सूचना प्रस्तुत करें। शेष क्षतिपूर्ति राशि बाबत प्रार्थीगण की याचिका साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(5) निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को आदेश की पालना हेतु दी जायें।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार ढाबी)
न्यायाधीश,
मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण,
अजमेर

VINOD KUMAR
Steno Gr II
"Authenticate Document"
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.05.05 08:49:10 +0530